तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए।
	श्याम सिंह vs कृष्ण सिंह T-9	
9/1/19	वकील पटीशनर उप०। पूर्व हुक्म वास्ते जवाब दि० 13/2/19 को पेश हो।	
13/2/19	वकीलों के द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन के कारण पूर्व हुक्म दि० 3/4/19 को पेश हो।	
3/4/19	वकील पटीशनर उप०। प्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब के साथ मुताबिक फेहरिस्त तीन दस्तावेज पेश किये। जवाब की नकल दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10/4/19 को पेश हो।	
10/4/19	वकील पटीशनर उप०। SDO साहब की [illegible] पूर्व हुक्म वास्ते बहस दिनांक 24/4/19 को पेश हो।	
24/4/19	तारीख पेशी जनरल नोटिस से बदली जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील पटीशनर उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15/5/19 को पेश हो।	
15/5/19	वकील पटीशनर उप०। प्रार्थनापत्र जारी [illegible] खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
40/15	अस्थायी निषेधाज्ञा	10.09.15	15.05.19

श्यामसिह पुत्र गोपालसिह आयु 60 साल जाति राजपूत निवासी फतेहपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

–प्रार्थी

बनाम

1. ऋषिकेश पुत्र छगन जाति मीना निवासी हरिया की झोंपड़ी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राज0
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री केशव कुमार गोतम वकील प्रार्थी।
श्री धीरेन्द्रपालसिह वकील अप्रार्थी सं0 1

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम गढी का गांव तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 368/4 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा जो कि प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी का उक्त जमीन से कोई ताल्लुक नही है फिर भी बिना किसी अधिकार के प्रार्थी की जमीन को हड़पने पर आमादा हे। दिनांक 30.08.2015 को अप्रार्थी पत्थर की ट्रोली लेकर आ गये तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर पत्थर डालकर अवैध रूप से प्रार्थी की जमीन को हड़पने के उद्देश्य से आ गये। प्रार्थी ने जब अप्रार्थी से मना किया तो कहने लगा कि मै तो इसी प्रकार तेरी जमीन को हड़प लूँगा कोई मेरा कुछ नही विगाड़ सकता उस वक्त गांव के मोतवीर व्यक्तियों ने समझा बुझाकर अप्रार्थी को वहा से भगा दिया लेकिन जाते जाते प्रार्थी को धमकी देकर गया कि उक्त आराजी को मै हड़प कर ही रहूँगा। इसलिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलवी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 2 का प्रकरण मे राज्यहित नही होने के कारण जवाब अपेक्षित नही है। अप्रार्थी सं0 1 ने जरिये वकील उपस्थित न्यायालय होकर जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिले खारिज है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जैर आराजी खसरा नं0 368/1 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम गढी का गांव को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विकता शिवदयाल पुत्र कल्याण महाजन दे दिनांक 14.03.2012 को प्रतिफल रूप मे 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये देकर खरीद की गई है एवं खरीद के दिन अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जैर आराजी पर वास्तविक रूप से कब्जा प्राप्त कर रेवेन्यू रिकार्ड मे अपने नाम विक्रय का नामान्तरकरण खुलवाकर जैर आराजी की रेवेन्यू रिकार्ड मे नक्शा ट्रेस मे तरमीम करवा ली गई गयी है। इस प्रकार जैर आराजी अप्रार्थी सं0 1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य मे सहअधिकारी चली आ रही है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.08.2015 की मिथ्या प्रार्थना पत्र हेतुक बताया गया कि अप्रार्थी पत्थर की ट्रोली लेकर प्रार्थी की भूमि मे आ गया जबकि जैर आराजी अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है जो अप्रार्थी सं0 1 के स्वामित्व आधिपत्य एवं तरमीम शुदा कृषि भूमि है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से

Scanned by CamScanner

पूर्व भी एक प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा मे स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जो श्रीमान न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया गया। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र पूर्व निर्णित प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत आने के कारण भी काबिले खारिज है। खातेदार को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा कानूनन पाबन्द नही किया जा सकता जैसे आराजी का अप्रार्थी सं0 1 खातेदार काश्त कार एवं उसकी तसलीम शुदा भूमि है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम मढी का गांव तहसील सापोटरा सम्वत् 2068–71 के अनुसार प्रार्थी ग्राम मढी का गांव के खसरा नम्बर 368/4 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार दर्ज रिकार्ड है जबकि अप्रार्थी सं0 1 आराजी खसरा नं0 368/1 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा भूमि जो कि अप्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने के फलस्वरूप नामान्तकरण दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड मे अमल हुआ है। जिसकी राजस्व नक्शा शीट मे तसलीम भी हो रही है, नक्शा शीट की नकल की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हुई है। प्रार्थी का आराजी खसरा नं0 368/1 से कोइ वास्ता नही है अप्रार्थी सं0 मौके पर काबिज काश्त है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही है। प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 368/4 अपनी सेपरेट खातेदारी की आराजी है किन्तु प्रार्थी का आराजी खसरा नं0 368/1 से कोई लेना देना नही है इसलिए प्रार्थी को कोई असुविधा भी नही हुई है ना ही कोई अपूरणीय क्षति हुई है। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही है। प्रार्थी के तथ्यों को वाद पत्र मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 15.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सापोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner